संख्या-95/2023/696/001-696-23-10-2023-52-सा0/2022

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ **दिनांक 15 मई, 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अलीगढ़ क्षेत्र के 06 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अलीगढ़ क्षेत्र के जनपद अलीगढ़ एवं जनपद एटा के कुल 06 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु** निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 412.01 लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 324**.61** लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 87.40 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लो0वि0नि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पंत्राक 3947/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एएलआई/ 2023-24 दिनांक 28.04.2023	**प्रा.ख. अलीगढ़**	जनपद अलीगढ़ में ग्राम मदनपुर छबीला से अमरौली मार्ग पर सुमेरपुर माइनर का बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	**22/2023/1544/23-10-22-03(सेतु/(2022-दिनांक-03-02-2023**	83.25/ 83.25/ 55.78	6.27	76.98	4.14	72.84	72.84	**45.91**	**12.36**	**58.27**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लो0वि0नि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	पंत्राक 3943/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ जेएचए/ 2023-24 दिनांक 28.04.2023	**प्रा.ख. अलीगढ़**	जनपद अलीगढ़ में गनेशपुर गोविन्दपुर धर्मपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी.-4 से ग्राम विजय नगलिया के मध्य नीम नदी पर बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण।	**48/2023/1246/001-1246-10-2022-10(सेतु/(2022टी0सी0-दिनांक-07-02-2023**	208.21/ 208.21/ 145.51	15.75	192.46	60.35	132.11	132.11	**83.27**	**22.42**	**105.69**
3	पंत्राक 3943/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ जेएचए/ 2023-24 दिनांक 28.04.2023	**प्रा.ख. अलीगढ़**	जनपद अलीगढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत ग्राम बहादुर कोटा मार्ग पर सुमेरपुर माइनर का बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	60/2023/1201/001-23-10-22-101(सा0)/22-दिनांक-20-02-2023	89.58/ 89.58/ 54.80	**7.86**	**81.72**	**4.47**	77.25	77.25	**48.69**	**13.11**	**61.80**
4	पंत्राक 4029/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एएलआई/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**प्रा.ख. अलीगढ़**	जनपद अलीगढ़ में कीरतपुर करवन नदी पर लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	48/2023/1246/001-1246-10-2022-10(सेतु/(2022टी0सी0-दिनांक-07-02-2023	317.21/ 317.21/ 191.73	**32.56**	**284.65**	**15.77**	**268.88**	**268.88**	**99.98**	**26.91**	**126.89**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लो0वि0नि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	पंत्राक 4029/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एएलआई/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**प्रा.ख. एटा**	जनपद एटा में जी0टी0 मार्ग से भदों मार्ग के किमी-1 में आर.सी.सी. बाक्स कल्वर्ट का नव निर्माण कार्य।	05/2022/1312/23-10-21-44 (सेतु/(2021-दिनांक-05-01-2022	76.47/ 76.47/ 52.55	**4.11**	--	**52.00**	**20.36**	**20.36**	**12.83**	**3.46**	**16.29**
6	पंत्राक 4029/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एएलआई/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**प्रा.ख. एटा**	जनपद एटा में सोरख कुसमरा सोरों कादरगंज पटियाली बदायूं मार्ग के किमी-89.00 में सकरे पुल के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य।	05/2022/1312/23-10-21-44 (सेतु/(2021-दिनांक-05-01-2022	128.29/ 128.29/ 94.65	**2.45**	--	**72.00**	**53.84**	53.84	**33.93**	**09.14**	**43.07**
			योग :-		---	**69.00**	**635.81**	**208.73**	**625.28**	**625.28**	**324.61**	**87.40**	**412.01**

अवमुक्त धनराशि रू0 412.01 लाख (रूपये चार करोड बारह लाख एक हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-

http://shasanadesh.up.gov.in

2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहित प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,24,61,000 (रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख इक्सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 87,40,000 (रुपये सत्तासी लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-95 /2023/696/001-696-23-10-2023-52-सा0/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्यअभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in